CDN-1013/RCD/09

अतिमहत्वपूर्ण

बिहार राज्य सूचना आयोग

चौथा तल्ला (सूचना भवन) बेली रोड, पटना।

पत्रांक–1 / वि0–293 / 08 / 2112 / रा0सू0आ0 पटना, दिनांकः 02 फरवरी, 2009

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव।

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।

सभी जिला पदाधिकारी।

विषयः–केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत् सूचना का अधिकार अधिनियम को वित्तीय वर्ष 2007–08 में कार्यान्वित एवं प्रोत्साहित करने वाले उत्कृष्ट लोक सूचना पदाधिकारी को पुरस्कृत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत् सूचना का अधिकार अधिनियम को कर्यान्वित एवं प्रोत्साहित करने वाले पंचायत स्तर से सचिवालय स्तर तक उत्कृष्ट लोक सूचना पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया जाना है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 9 पदाधिकारियों को पुरस्कृत करने की योजना है जिसमें एक प्रथम पुरस्कार 20,000 (बीस हजार रू0) तीन द्वितीय पुरस्कार 10,000(दस हजार रू0) के तथा पाँच तृतीय पुरस्कार 5,000 (पाँच हजार रू0) रूपये के होगें।

2. कृपया अपने अधीनस्थ (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 में निपटाये गए कार्यो की समीक्षा कर विहित प्रपत्र में उत्कृष्ट लोक सूचना पदाधिकारी को पुरस्कृत करने हेतु अनुशंसा दिनांक 28.02.09 तक आयोग को उपलब्ध कराने की कृपा करें। जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि इस योजना की जानकारी जिले के सभी कार्यालय प्रधान तथा प्रखंड एवं पंचायतों के पदाधिकारियों को देगें ताकि अधिक से अधिक लोक सूचना पदाधिकारियों के कार्यो का मूल्यांकन किया जा सके। कार्यालय प्रधान अपने लोक सूचना पदाधिकारियों के संबंध में अनुशंसा सीधे आयोग को भेजने का कष्ट करेगें।

विहित प्रपत्र :–

कम संख्या	लोक सूचना पदा0 का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष 2007–08 में प्राप्त आवेदनों की सं0	निस्तारित आवेदन की संख्या	लो0सू0पदा0 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा (4) के तहत किए गए प्रयास एवं लो0 सू0 पदा0 द्वारा अन्य कोई उल्लेखनीय उत्कृष्ट कार्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

विश्वासभाजन

(एस0 के0 मिश्र)
सचिव

P. T. O.